



कानपुर नगर निगम

नगर निगम (मा0सदन) की दिनांक 09.03.2019

दिन शनिवार को अपरान्ह 03.00 बजे

सम्पन्न हुई सदन की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: नगर निगम सभागार, मोतीझील, कानपुर



कार्यालय सचिव
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या :- डी/२४५/सचिव (न०नि०)/२०१९

दिनांक :- ०९.०३.२०१९

सेवा में,

मा० श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पार्षद वार्ड सं०...../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा० सदन की दिनांक ०९.०३.२०१९ दिन शनिवार को अपराह्न ०३.०० बजे सम्पन्न हुई, विशेष बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :-

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या ०१ से ११ तक।

प्रतिलिपि :-

१. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
२. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
३. ~~समस्त~~ विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम, कानपुर


सचिव
नगर निगम, कानपुर

दिनांक— 09.03.2019 दिन शनिवार को अपराह्न 03:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/अध्यक्ष	24. श्रीमती ऊषा मिश्रा	पार्षद/सदस्य
2. श्री रमेश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	25. श्री रमेश बाजपेई	पार्षद/सदस्य
3. श्री शैलेश	पार्षद/सदस्य	26. कु० विधि राजपाल	पार्षद/सदस्य
4. श्री शरद कुमार सोनकर	पार्षद/सदस्य	27. श्रीमती अंजू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
5. कु० लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	28. श्री अशोक पाल	पार्षद/सदस्य
6. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य	29. श्रीमती नमिता मिश्रा	पार्षद/सदस्य
7. कु० मोहिनी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	30. श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद/सदस्य
8. श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य	31. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/सदस्य
9. श्रीमती आरती गौतम	पार्षद/सदस्य	32. कु० कीर्ति अग्निहोत्री	पार्षद/सदस्य
10. श्री अवनीश खन्ना	पार्षद/सदस्य	33. श्री दिनेश तिवारी	पार्षद/सदस्य
11. श्री अजीत	पार्षद/सदस्य	34. श्रीमती प्रभा सिंह चौहान	पार्षद/सदस्य
12. श्री मदन बाबू	पार्षद/सदस्य	35. श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य
13. श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य	36. श्री सुशील अवस्थी 'गुड्डू'	पार्षद/सदस्य
14. श्री राकेश कुमार	पार्षद/सदस्य	37. श्रीमती नीतू मिश्रा	पार्षद/सदस्य
15. श्रीमती रचना त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	38. श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
16. श्री प्रदीप मिश्रा	पार्षद/सदस्य	39. श्री सुमित कुमार पाल	पार्षद/सदस्य
17. श्रीमती राधा देवी	पार्षद/सदस्य	40. श्री विजय यादव	पार्षद/सदस्य
18. श्रीमती मधु मिश्रा	पार्षद/सदस्य	41. श्री अनिल वर्मा	पार्षद/सदस्य
19. श्रीमती शीला पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	42. श्री नूर आलम	पार्षद/सदस्य
20. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद/सदस्य	43. श्रीमती सोनी सिंह	पार्षद/सदस्य
21. श्रीमती कविता सिंह	पार्षद/सदस्य	44. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
22. श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	45. श्री मो० आमिर खान	पार्षद/सदस्य
23. श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद/सदस्य	46. श्री जितेन्द्र	पार्षद/सदस्य

1. श्री सतीष कुमार शर्मा नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल हिन्द अपर नगर आयुक्त प्रथम
3. श्री अरविन्द राय अपर नगर आयुक्त द्वितीय
4. श्री रमेश कुमार निरंजन मुख्य विल एवं लेखाधिकारी
5. श्री मनीष कुमार सिंह मुख्य अभियन्ता सिविल
6. श्री संजय सिन्हा महाप्रबन्धक जलकल

अधिकारीगण

69. श्री राघवेंद्र मिश्रा पाषद/सदस्य
70. श्री प्रभाद जायसवाल पाषद/सदस्य
71. श्री नवीन पण्डित पाषद/सदस्य
72. श्री आशीद त्रिपाठी पाषद/सदस्य
73. श्री सी० अमीम पाषद/सदस्य
74. श्री दीपक शर्मा पाषद/सदस्य
75. श्री कौशर अली पाषद/सदस्य
76. श्री अभिषेक गुप्ता पाषद/सदस्य
77. श्रीमती शाहीन खानम पाषद/सदस्य
78. श्री अर्जुन गुप्ता पाषद/सदस्य
79. श्री हिवम दीक्षित पाषद/सदस्य
80. श्री राहुिद महमूद पाषद/सदस्य
81. श्री हली सहेल अहमद पाषद/सदस्य
82. श्रीमती शबनम बानी पाषद/सदस्य

47. श्री कमल शंकर 'बेबी' श्री कमल शंकर 'बेबी'
48. श्री सौरभ तिवारी
49. श्री नीरज बाजपेई
50. श्रीमती यशोदा देवी
51. श्रीमती दीपा
52. श्री अरविन्द यादव
53. श्रीमती चन्द्रावती
54. श्री तियाकत अली
55. श्री जय प्रकाश पाल
56. श्रीमती शाहिबा परवीन
57. श्री मनीज कुमार पाण्डेय
58. श्री अमित कुमार महरौजा
59. श्रीमती संध्या
60. श्री विकास जायसवाल
61. श्री हरि शंकर गुप्ता
62. श्रीमती शशी साहू
63. श्री सतीष साहू
64. श्रीमती अल्पना जायसवाल
65. श्रीमती सुमन त्रिवेदी
66. श्रीमती मनका सिंह शंकर
67. श्री अनूप कुमार शंकरा
68. श्री गुरु नारायण गुप्ता

राष्ट्रीयगीत (वंदे मातरम) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से मैं सदन पटल पर एजेण्डा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज दिनांक 09.03.2019 को पूर्वान्ह में माननीय कार्यकारिणी समिति से महानगर के निवासियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से जहाँ एक ओर नगर निगम को पुराने बकायेदारों से राजस्व की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर महानगर के निवासियों को भी पुराने बकाये पर ब्याज से राहत मिलेगी तथा मूलधन पर भी छूट प्रदान की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या-54

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या डी/119/सी.ए.टी.ओ./एम.सी. दिनांक 02.03.2019 को सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

कानपुर नगर निगम की मूलभूत सुविधाओं(जैसे रोड, नाली, मार्ग प्रकाश, सफाई इत्यादि) को नागरिकों को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ रखने का अभियान सम्प्रति गतिमान है। शहर में सुनियोजित विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने तथा रखरखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु नगर निगम की आय का एकमात्र साधन गृहकर है।

गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में गृहकर की वसूली कुल **रु0 124.88 करोड** मात्र रहा है, जोकि काफी कम है। वर्तमान में व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के गृहकर निर्धारण के विवाद एवं उनके गृहकर के अवशेष एवं ब्याज में लगातार वृद्धि के कारण अनेक भवन स्वामी गृहकर जमा न करके विवाद करते हैं। इन मुख्य विषमताओं को समाप्त करने एवं बकाये की धनराशि को त्वरित वसूली एवं सीमित अवधि हेतु एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू करना प्रस्तावित है।

नगर निगम कानपुर के एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही होनी है :-

क्र०सं०	भवन के प्रकार	एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) में प्रदान की जाने वाली छूट	
		ब्याज	अवशेष (01.04.2018 के अवशेष माँग पर)
1	आवासीय भवन	ब्याज की धनराशि पर पूर्णयता छूट	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.04.2019 तक 20 प्रतिशत तथा तदोपरापन्त आंतरिमरूप से दिनांक 31.05.2019 तक अथवा शासन

उपरोक्त एक मुश्त सामधान योजना(ओ0टी0एस0) लागू होने से जनहित में जहाँ विवादों का निस्तारण होगा वही नगर निगम कानपुर की आय में भारी वृद्धि होगी। अतएव यह योजना जनहित के साथ-साथ नगर निगम के हित में होगी। नगर निगम वित्तीय हित में इस योजना को तत्काल प्रभाव से शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि जब तक शासन द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक जमा की गई धनराशि को आंतरिम भुगतान माना जायेगा।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि क्या यह एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) जलकल विभाग के बकायेदारों पर भी लागू होगी ? और 37 वर्ग मीटर तथा 57 वर्ग मीटर वाले भवन स्वामियों पर नगर निगम द्वारा गलत गृहकर लगाया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ किस प्रकार दिया जायेगा ?

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि मैंने कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वार्डवार/क्षेत्रवार कैंप लगाकर भवन स्वामियों से स्व कर निर्धारण फार्म भरवाकर व त्रुटियों का प्राथमिकता पर संशोधन करते हुये उन्हे एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ दिया जाये और इस पर विशेष ध्यान दिया जाये कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी भवन स्वामी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। इसके अतिरिक्त एक मुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) के अन्तर्गत भवन स्वामियों के पूर्व के बकाये एवं ब्याज में भुगतान के समय प्रदान की गई छूट से कितना सम्पत्ति कर(गृहकर) में अन्तर आया इसकी पाक्षिक सूचना महापौर को उपलब्ध कराई जायें।

..... 31 मार्च, 2019 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह अप्रैल, 2019 तक सभी सम्पत्तियों के बकाया के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये मूलधन पर 20 प्रतिशत की छूट तथा 01 मई से 31 मई 2019 तक बकाया के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट देते हुये मूलधन पर 10 प्रतिशत छूट दिये जाने के साथ ही एक मुश्त समाधान योजना(ओ.टी.एस.) के अन्तर्गत भवन स्वामियों के पूर्व के बकाये एवं ब्याज में भुगतान के समय प्रदान की गई छूट से कितना सम्पत्ति कर(गृहकर) में अन्तर आया, इसकी पाक्षिक सूचना महापौर को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-55

कानपुर नगर की मूलभूत सुविधाओं (जैसे जलापूर्ति व सीवर व्यवस्था अनुरक्षण) को नागरिकों को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण दायित्व जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का है। वर्तमान में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व रख-रखाव हेतु काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाये रखने हेतु जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के पास वित्तीय स्रोत के रूप में एक मात्र साधन जलकर व सीवर कर ही है।

क्र.0	मदन का प्रकार	एकमुहल समाधान योजना (ओटीओएस0) के अन्तर्गत प्राथमिक जलकर एवं सीवरकर पर छूट दिनांक 31.03.2019 तक	
1	समस्त आवासीय भवन	सरवाज	
2	अवसाधिक प्रतिष्ठान	सरवाज	
3	छात्रावास एवं शैक्षणिक संस्थान	सरवाज	
4	औद्योगिक इकाइयां व सांजनििक उपक्रम	सरवाज	
5	सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय	सरवाज	भवन जिनके करों का भुगतान उ0प्र0 जाता है। यह योजना लागू होने की तिथि जाते से 06 माह के अन्दर भुगतान कर सकेंगे।

गत वित्तीय वर्ष में जलकर व सीवर कर राजस्व वसूली रु0-96.57 करोड़ मात्र रही है। यह राजस्व वसूली जल शोधन प्रकिया व विद्युत आदि के वृद्धि के कारण अनेक भवन स्वामी जलकर व सीवर कर जमा करने में विवाद करते हैं। इन मुख्य विषयताओं को समाप्त करने एवं बकायों की धनराशि को त्वरित वसूली हेतु सीमित अवधि हेतु एकमुहल समाधान योजना लागू करना प्रस्तावित है।

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर द्वारा जलकर व सीवरकर में "एकमुहल समाधान योजना (ओटीओएस0)" लागू होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिसमें सरवाज में छूट दिने जाने हेतु प्रस्तावित है-

एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) इन शर्तों के अधीन होगा—

1. सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियत अवधि के अन्दर एकमुश्त करना होगा।
2. यह योजना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। पूर्व में किये गये भुगतान पर कोई समायोजन नहीं होगा। आंशिक भुगतान की स्थिति में अवशेष धनराशि पर ही यह योजना प्रभावी होगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध छात्रावास ही आच्छादित होंगे।
4. निजी छात्रावास पर यह योजना लागू नहीं होगी।
5. आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग कालेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य हैं और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित हैं।
6. इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

एकमुश्त समाधान योजना (ओर0टी0एस0) के अन्तर्गत भवनों के उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर का विवरण निम्नवत है—

(धनराशि करोड़ में)

क्र0सं0	भवन का प्रकार	संख्या	अवशेष	ब्याज	योग
1	आवासीय भवन	245270	121.49	07.90	129.39
2	कालोनी लेबर/के0डी0ए0	24436	45.00	02.92	47.92
3	सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय		44.83	02.91	47.74
योग—		269706	211.32	13.73	225.05

2. नगर निगम सीमान्तगत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भूगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये तथा नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2019 तक कोई अवशेष न हो उनके विरुद्ध वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक चालू मांग(घाटे अवशेष है, तो मय बकाया, ब्याज व चालू मांग सहित एकमुश्त पूर्ण भूगतान करने पर) पर विगत वर्ष की भाँति 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने एवं तदोपरान्त विशेष परिस्थिति

1. विगत वर्ष की भाँति रु० 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत एवं रु० 1,201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दर वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।

नगर निगम सीमान्तगत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) संग्रहण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाएँ एवं अनुमोदनाएँ प्रस्तुत है :-

प्रस्ताव

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या डी/120/सी.ए.टी.ओ./एम.सी.दिनांक 02.003.2019 को अधिनियम की धारा-148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनाएँ/अनुमोदनाएँ प्रेषित

प्रस्ताव संख्या-56

उपरोक्त संकल्प के साथ तदनुसार प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय सदन के समक्ष सूचनाएँ एवं अनुमोदनाएँ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर में बकाया जलकर व स्वीचरकर की धनराशि की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओर०टी०एस०) लागू करने हेतु उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(2) के अन्तर्गत विशेष संकल्प पारित करने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी सदस्य एवं द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक जमा की गयी धनराशि को अन्तरिम भूगतान माना जायगा।

आय में भारी वृद्धि होगी। अतएव यह योजना जनहित के साथ-साथ जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के हित में भी होगी। जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर के वित्तीय हित में इस योजना का तत्काल प्रभाव से शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस शर्त के साथ लागू किया जाता है कि जब तक शासन

में नगर आयुक्त को एक-एक माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह नवम्बर 2019 होगी) बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाना।

3. भारत सरकार द्वारा भुगतान प्रक्रिया में डिजिटिजेशन की प्रमुखता दी जा रही है, इसमें त्वरित भुगतान के साथ-साथ समय की बचत होती है। अतः भवन स्वामियों द्वारा अपने गृहकर का भुगतान(ई-पेमेन्ट) डिजिटल करने पर 00.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

..... उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-57

संदर्भ :- अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 2385/वी0आई0पी0/23 पूर्व-2018-93 सा0/2018 दिनांक 22.11.2018

कृपया अनुसचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2385/वी0आई0पी0/23 पूर्व-2018-93 सा0/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री सतीश महाना, मा0 औद्योगिक एवं विकास मंत्री, उ0प्र0 के विधानसभा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त प्रस्तावित समस्त सड़कों सोसाइटी क्षेत्र की हैं एवं इन सड़कों के निर्माण से उपरोक्त क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के पश्चात सड़कों के स्वामित्व की अपेक्षा की है ताकि भविष्य में भी उक्त सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। सोसाइटी क्षेत्र की उक्त सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा करने से एक ओर सोसाइटी क्षेत्रों का विकास होगा साथ ही साथ नगर निगम पर अतिरिक्त व्ययभार भी नहीं आयेगा।

अतः उक्त सड़कों के निर्माण एवं निर्माण के पश्चात रखरखाव हेतु स्वामित्व लोक निर्माण विभाग को दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत है, सड़कों का विवरण निम्नवत है :-

क्र.स	कार्य का नाम
1	सनिगंवा मार्ग से विमानपुरी मे गब्बर होटल भारती शांती स्कूल एवं कन्हैया गेस्ट हाउस तक आर0 के0 कोचिंग इन्द्रधनुष स्कूल होते हुये कांशीराम मेन रोड तक एवं मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी मंदिर तक मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य।
2	सनिगंवा मार्ग से संदीप नगर मे कानपुर ट्रामा सेंटर से ग्राड व्यू एकेडमी स्कूल से राशन की दुकान एवं कैम्ब्रिज माडल स्कूल से हाइवे सिटी पार करते हुये हरीकांत त्रिवेदी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।
3	वार्ड 82 मे जरौली मुख्य मार्ग गुरु कृपा इण्टरप्राइजेज से कांशीराम आवास तक मार्ग का निर्माण कार्य।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के तहत प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र एवं अवैध कालोनियों के क्षेत्र में नगर निगम को ई भी विकास कार्य नहीं करा सकता है, इसी परिप्रेष्य में सड़कों का निर्माण एवं उनका रख-रखाव लोक निर्माण विभाग करना चाहता है, तो नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है। बाहर के विकास के दृष्टिकोण आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र एवं अवैध कालोनियों के क्षेत्र वाली उपरोक्त 18 सड़कों/मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने पर नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

4	वार्ड 46 में रामनाथ निधी के मकान से प्रियदर्शनी स्कूल एवं एस10 के0 गुल्मा, रामगुवन सेनी, सीमा सिंह व राजेश यादव के मकान व मोती साहू के मकान से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए दुर्गा मंदिर तक मार्ग निर्माण का कार्य।
5	वार्ड 82 में कर्टही सखी मंडी मुख्य मार्ग से प्रकाश पब्लिक स्कूल होते हुए देवी प्रसाद गुल्मा के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
6	वार्ड 82 में जयश्री नाला रोड मुख्य मार्ग से कर्टही मुख्य शौचालय तक मार्ग निर्माण का कार्य।
7	वार्ड 87 में अरुण मुख्य मार्ग से संतोष सिंह, रामसजीवन सिंह, हाकिम सिंह के मकान होते हुए अरुण मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।
8	वार्ड 87 में बख्शीपुरवा में एल0आई0जी0 कालोनी से पारितोष हिमा कालेज एवं गुरु कृष्ण स्कूल होते हुए पानी की टंकी मुख्य मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।
9	वार्ड 31 में जी0टी0 संजीव नगर से नाले से साहू जी के मकान होते हुए मधैया मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।
10	वार्ड 31 में जी0टी0 मार्ग कृष्णा ट्रेडर्स से मुख्य रेल मार्ग एवं ट्रांसफार्मर से हिमांशु बिपाठी के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
11	वार्ड 82 में कर्टही मुख्य मार्ग मादल मार्केट से शिव शंकर साहू के मकान होते हुए राम दयाल के मकान तक मार्ग निर्माण कार्य। (स्टेन वाली गली)
12	जीन-3 वार्ड 21 के अन्तर्गत योनिन्द विहार कर्टही मुख्य मार्ग से नीरज के मकान तक व योनिन्द विहार 164 गुंजन शुकला राज बहादुर केशवाहा रकबा नं0 264 तक मार्ग निर्माण का कार्य
13	वार्ड 31 में शीनू यादव की टुकान से आधन स्कूल होते हुए रविकान्त आई0टी0आई0 मुख्य मार्ग तक मार्ग निर्माण का कार्य।
14	वार्ड 87 में अश्वनी ट्रेडिंग कम्पनी से पारितोष इ0क0 एवं बृज किशोर गुल्मा के मकान होते हुए सरकारी राशन की टुकान तक मार्ग का निर्माण कार्य।
15	वार्ड 41 में उत्तम हार्मिटेज से पाल के मकान होते हुए बन्धा तक मार्ग का निर्माण कार्य।
16	वार्ड 87 में हमीरपुर रोड से पहाड़पुर चुन्नी से गुड्डू सिंह के मकान होते हुए इन्दिरा पेट्रोल पम्प हमीरपुर मार्ग का निर्माण कार्य।
17	वार्ड 21 में सूरजन परिवार के मकान से शिवशिक्षण शिव स्वरूप विवाही के मकान होते हुए बख्शीपुरवा मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।
18	वार्ड 82 में जयश्री विवाही पुरवा से पानी की टंकी होते हुए जयश्री मनीराम के घर तक एवं सूर्यम शौचालय से धनीराम के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।

अध्यक्ष ने सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया कि चूँकि पुलवामा हमले में शहीद हुये जवानों में दो लाल अपने कानपुर नगर के भी शहीद हुये है, अतः उनकी वीरता एवं शौर्य के दृष्टिगत श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 02 मिनट का मौन रखा जाये। तदनुसार सभी सदस्यों ने पुलवामा हमले में शहीद हुये जवानों के लिये 02 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

अन्त में अध्यक्ष ने आज दिनांक 09.03.2019 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 09.03.2019 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/अध्यक्ष